32

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 51/2022 दायर दिनांक–06.05.2022

1. धन्नी पुत्री रामेश्वर
2. कमला पुत्री रामेश्वर जाति मेघवंशी निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू
3. भगवती पुत्री रामेश्वर जाति मेघवंशी निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू।

– आवेदिकागण

– :: बनाम ::–

1. बाबूलाल पुत्र रामेश्वर
2. श्रवण पुत्र रामेश्वर
3. भागीरथ पुत्र रामेश्वर
4. जुगल किशोर पुत्र रामेश्वर
5. तेजपाल पुत्र रामेश्वर
6. कानाराम पुत्र रामेश्वर
7. मनीराम पुत्र रामेश्वर
8. प्रभाती पुत्री रामेश्वर समस्त जाति मेघवंशी निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
9. अटल बिहारी सैनी पुत्र भानाराम जाति माली निवासी रोहिड़ा वाली ढाणी तन कानका वाली ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
10. गणेश सिंह पुत्र बैरीसाल सिंह
11. गोविन्द सिंह पुत्र बैरीसाल सिंह
12. भगवान सिंह पुत्र बैरीसाल सिंह
13. भंवर सिंह पुत्र बैरीसाल सिंह
14. रतन सिंह पुत्र बैरीसाल सिंह
15. विक्रम सिंह पुत्र भगवान सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
16. श्यामलाल पुत्र जगन्नाथ जाति माली निवासी रोहिड़ा वाली ढाणी तन कानका वाली ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू।

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री अमर सिंह शेखावत
वकील अनावेदक :– श्री किशोर कुमार जांगिड़

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

–:: आदेश ::–

दिनांक–30.04.2025

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :–ग्राम झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 179, 180, 498 कुल किता 3 कुल रकबा 3.42 है0 स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि में वादीयागण तथा अनावेदक संख्या 1 लगायत 8 शामलाती हिस्सा 283/1425 यानि 0.6792 है0 है। जो आवेदिकागण व अनावेदकगण 1 लगायत 8 के दादा स्व0 चैता पुत्र माना के वारिसान होने के कारण से आवेदिकागण तथा अनावेदकगण 1 लगायत 8 की पैत्रिक सहदायिक सम्पति की भूमि है जिसमें जन्म से ही हक व अधिकार है। [illegible] भूमि में आवेदिकागण के पूर्वज स्व0 चैता पुत्र माना को आगे विवादग्रस्त भूमि के नाम से सं[illegible] कि[illegible] जावेगा। उक्त भूमि में 0.6792 है0 भूमि का राजस्व रिकॉर्ड चैता पुत्र माना के नाम से दर्ज चला आ र[illegible] चैता पुत्र माना की वंशावली प्रा0 पत्र की मद संख्या 2 अनुसार है। चैता के [illegible] व अनावेदक सं0 1 लगायत 8 के पिता स्व0 रामेश्वर के अकेले नाम गलत [illegible] आवेदिकागण की सहदायिक संपति है। जिसमें पिढियों से शामलाती कब्जा काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में आवेदकगण व अनावेदकगण 1 लगायत 8 प्रत्येक का 0.0566 है0 हिस्सा है। उक्त वादग्रस्त भूमि में स्व0 रामेश्वर पुत्र चैता ने अपने हिस्से 0.0566 है0 से अधिक गलत रूप से आवेदिकागण को उनके वैध अधिकार के हिस्से की भूमि से वंचित करने के उदेश्य से सम्पूर्ण पैत्रिक सहदायिक सम्पति की भूमि 02 बीघा 19

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:16:58 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्र.)
नवलगढ

विश्वा का गलत विक्रय पत्र अनावेदक सं0 1 बाबुलाल के हक में तस्दीक करवा दिया । गलत विक्रय पत्र के आधार पर सम्पूर्ण 2 बीघा 19 विश्वा की खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 के नाम से गलत दर्ज हो गई। आवेदिकागण व अनावेदकगण 2 लगायत 8 को वंचित करने का रामेश्वर पुत्र चेता को कोई अधिकार नही था परन्तु जानबुझकर आवेदिकागण को उसके वैध अधिकारों से वंचित करने के लिए अवैधानिक कार्यवाही की है जिससे आवेदिकागण को सख्त हकतलफी हुई है। वैध अधिकारों के विपरित होने के कारण विक्रय पत्र नल एण्ड वोईड होने के कारण से कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। आज भी वादग्रस्त भूमि में आवेदिकागण व अनावेदक सं0 1 व 8 शामलाती रूप से कब्जा काश्त करते है। अनावेदक सं0 1 ने आवेदिकागण को अपनी पैतृक सहदायिक सम्पति की भूमि मे काश्त नही करने की धमकी देते हुए कहा कि मैने तुम सब का हिस्सा हड़प लिया है तुम दुबारा काश्त नही करने आना। गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर बने विक्रय पत्र के आधार पर आवेदिकागण को अपने वैध अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए गलत नामांतकरण संख्या 896 आवेदिकागण के अधिकारों के खिलाफ शुरू से शुन्य होन के कारण से राजसव रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाकर आवेदिकागण को वादग्रस्त भूमि में शामलाती रूप से 0.1698 है0 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने हेतु प्रा0 पत्र पेश किया है। आवेदिकागण का प्रथम दृष्टया मामला है तथा साथ साथ सुविधा का संतुलन भी आवेदिकागण के पक्ष में है। आवेदिकागण को अपूर्णीय क्षति न हो इसलिए अनावेदक संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है कि वादग्रस्त भूमि को गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में न तो गिरवीनामा बैनामा अथाव किसी तरीके से खुर्द बुर्द न करें न ही अन्य किसी रिश्तेदार नातेदार से ऐसा करावे। आवेदिकागण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग तथा लाट बाट करने देवे। कब्जे काश्त में किसी प्रकार का अवरोध पैदा नही करें। मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

आवेदिकागण का प्रथम दृष्टया मामला मजबूत है सुविधा का संतुलन आवेदिकागण के पक्ष में है। अगर आवेदिकागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार नही होगा तो आवेदिकागण को अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 179, 180, 498 कुल किता 3 कुल रकबा 3.42 है0 में ख0 नं0 116 रकबा 5 बीघा 14 विश्वा में से 1/2 हिस्सा यानि 2 बीघा 19 विश्वा वादीयागण के पूर्वज चैता पुत्र माना की खातेदारी की भूमि 283/1425 यानि 0.6792 है0 के किसी भी भू भाग पर न तो स्वयं कब्जा करें ना ही किसी अन्य से करवायें। वादीयागण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें। मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदक संख्या 1, 2, 4 व 06 की ओर से वकील श्री किशोर कुमार जांगिड़ उपस्थित न्यायालय आये। तथा अनावेदकगण ने आवेदक के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के निवेदन कि साथ जवाब प्रार्थना पत्र बिन्दुवार इस पेश किया कि :— प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम झाझड़ में होना स्वीकार है। उक्त भूमि में आवेदिकागण व अनावेदकगण 1 लगायत 8 का शामलाती हिस्सा 283/1425 होना गलत है। जबकी उक्त हिस्सा अनावेदक सं0 1 का है तथा शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारों का है। यह गलत है कि उक्त भूमि आवेदिकागण व अनावेदकगण की पैत्रिक सहदायिक भूमि है। प्रार्थना पत्र में दर्ज वंशावली गलत है। चेता के फौत होने पर राजस्व रिकॉर्ड कानुन सम्मत रामेश्वर के नाम जरिये उत्त्राधिकार दर्ज हुआ है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दर्ज हुआ। स्व रामेश्वर को उक्त भूमि जरिये उत्तराधिकार स्वतंत्र रूप से प्राप्त हुीई थी जिसमें किसी का कोई सीर सांझा नही है। स्व0 रामेश्वर ने अपने हक हिस्से की भूमि को घरेलु पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रतिफल राशि तय कर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.11.2003 को क्रेता अनावेदक सं0 1 बाबूलाल को विक्रय कर दी। उसके पश्चात उक्त हिस्सा अनावेदक सं0 1 के दर्ज हुआ। तथा उक्त हिस्से का अनावेदक सं0 1 खातेदार काश्तकार है। विक्रय पत्र दिनांक 17.11.2003 के जरिये प्राप्त हुई भूमि के संबंध में सभी अधिकार उत्तरदाता [illegible] सं0 1 को प्राप्त है। विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण संख्या 896 तस्दीक हुआ जिसके शून्य होन [illegible] कोई कारण नही हो सकता है। आवेदिकागण उक्त भूमि में किसी भी हिस्से की खातेदार घोषित हो [illegible] अधिकारीणी नही है। आवेदिकागण ने वादग्रस्त भूमि पर कभी काश्त नही किया है। जब आवेदिकागण का [illegible] भूमि के संबंध में कोई वैध अधिकार ही नही है तो वंचित होने का कोई प्रश्न नही है। आवेदिकागण ने नाजायज रूप से मनगढंत तथ्य दर्ज करते हुए ईर्ष्यावश अपने पतियों के दबाब मे आकर उत्तरदातागण को नाजायज रूप से परेशान करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। उत्तरादाता/अनावेदक सं0 1 वादग्रस्त भूमि का खातेदार है इसलिए वादग्रस्त भूमि के संबंध में सभी तरह के हक अधिकार अनावेदक सं0 1 को प्राप्त है। आवेदिकागण को कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:16:58 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

प्रथम दृष्टया मामला नही है ना ही कोई सुविधा का संतुलन आवेदिकागण के पक्ष में है। तथा ना ही किसी प्रकार की क्षति आवेदिकागण को होने की संभावना है।

अतः जबाब प्रा0 पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदिकागण का प्रा0 पत्र खारिज फरमाया जावे।

जवाब देही पेश होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील आवेदक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति की तथा वकील अनावेदकगण ने जबाब प्रा0 पत्र के तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– राजस्व ग्राम ग्राम झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 179, 180, 498 कुल किता 3 कुल रकबा 3.42 है0 में ख0 नं0 116 रकबा 5 बीघा 14 विश्वा में से 1/2 हिस्सा यानि 2 बीघा 19 विश्वा वादीयागण के पूर्वज चैता पुत्र माना की खातेदारी की भूमि 283/1425 यानि 0.6792 है0 है। जो कि पैत्रिक सहखातेदारी की भूमि है। चैता पुत्र माना के आवेदिकागण व अनावेदक सं0 1 लगायत 8 वारिसान है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड अनावेदक सं0 1 के नाम से दर्ज है। अतः उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड गलत रूप से बने होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला आवेदिकागण के पक्ष में है।
2. फलस्वरूप विवादग्रस्त भूमि मे आवेदक एव अनावेदकगण संयुक्त खातेदार काश्तकार एवं आवेदक का कब्जा काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है
3. **सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति** :– उपरोक्त दोनो बिन्दु आवेदक के पक्ष में होने से तथा आवेदक विवादग्रस्त भूमि में आवेदक के कब्जे काश्त में होने से अपूरणीय क्षति आवेदक पक्ष मे है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 179, 180, 498 कुल किता 3 कुल रकबा 3.42 है0 में ख0 नं0 116 रकबा 5 बीघा 14 विश्वा में से 1/2 हिस्सा यानि 2 बीघा 19 विश्वा वादीयागण के पूर्वज चैता पुत्र माना की खातेदारी की भूमि हिस्सा 283/1425 यानि 0.6792 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाई रखने हेतु तादावा निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा अंतरिम आदेश दिनांक 06.05.2022 को पुष्ट किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के साथ संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 31.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:16:58 IST
Reason: SelfAttested